

18.07.2022:—पत्रावली पेशी मे आई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एव अधिवक्ता कि बहस को मध्यनजर रखते हुए। प्रार्थना-पत्र पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना मे डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

★
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ